श्री विजय किरण आनन्द, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर की अध्यक्षता में जनपद में कार्यरत पेट्रोल पम्प स्वामियों/गैस एजेन्सी स्वामियों/ऑयल कम्पनी के सम्बन्धित सेल्स एरिया आफीसर आदि की बैठक दिनांक 11.04.2016 को समय दोपहर 01:00 बजे विकास भवन सभागार शाहजहाँपुर में आहुत की गई, बैठक में दिये गये निर्देशो का कार्यवृत्त।

दिनांक 11.04.2016 को समय दोपहर 01.:00 बजे विकास भवन सभागार शाहजहाँपुर में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जनपद में कार्यरत पेट्रोल पम्प स्वामियों/गैस एजेन्सी स्वामियों/ऑयल कम्पनी के सम्बन्धित सेल्स एरिया ऑफीसर आदि की बैठक आहुत की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिला विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, सम्बन्धित लिपिक, पूर्ति निरीक्षक व अधिकांश पेट्रोल पम्प स्वामी/गैस एजेन्सी स्वामी उपस्थित रहे। गैस एजेन्सियो के स्वामियों/उपस्थित अधिकारीगणों को मीटिंग के दौरान अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्पष्ट कडे निर्देश दिये गये कि जो गैस एजेन्सी स्वामी बैठक में उपस्थित नही है उनको नोटस जारी करते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक की जाये।

(*इस सम्बन्ध में कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी से कराई जायेगी*)

जनपद में गैस एजेन्सियो/अन्य के द्वारा गैस की की जा रही कालाबाजारी के सम्बन्ध में प्रतिदिन करीब 100 शिकायते प्राप्त हो रही है, जिसमें तत्काल सुधार करलें। अन्यथा सम्बन्धित गैस एजेन्सी के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अनियमितता पाए जाने पर गैस एजेन्सी स्वामी के साथ–साथ सम्बन्धित सेल्स एरिया आफीसर के विरूद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 व अन्य आई0पी0सी0 की धाराओं तथा गैंगस्टर के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। सभी गैस एजेन्सी स्वामी अपनी गैस एजेन्सी पर समस्त प्रकार से आवश्यक प्रविष्टियाँ एक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से चस्पा करेंगें जिसमें प्रति गैस सिलेण्डर का निर्धारित मूल्य, गैस कनेक्शन का निर्धारित मूल्य, बुकिंग हेतु गैस एजेन्सी का नम्बर, समस्त सम्बन्धित अधिकारीगणो का नम्बर, अंकित रहेगा। होम डिलीवरी की सुविधा उपभोक्ताओं शहरी/ग्रामीण क्षेत्र को शत्–प्रतिशत टेलीफोन से बुकिंग के सापेक्ष तत्काल की जायेगी। इसके अनुपालन में किसी प्रकार का विलम्ब या उदासीनता क्षम्य न होगी। समस्त गैस एजेन्सियों से सम्बन्धित एरिया सेल्स ऑफीसर माह में एक दिन निश्चित कर जिला पूर्ति कार्यालय शाहजहाँपुर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर जनसमस्याओं को सुनेंगे व निस्तारण करेंगे।

(इस सम्बन्ध में निरन्तर निरीक्षण कर कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी के द्वारा)

जिन उपभोक्ताओं के आधार कार्ड अभी तक लिंक नही हुए है उन उपभोक्ताओं को अगले माह से गैस न दी जाये तथा शादी विवाह/पार्टी में प्रयोग हेतु केवल व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (19 किग्रा0 क्षमता वाले) ही दिये जाये। यदि जाँच के दौरान यह पाया गया कि घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर का प्रयोग शादी–विवाह/पार्टी में हो रहा है तो सम्बन्धित मैरिज लॉन स्वामी, सम्बन्धित गैस एजेन्सी स्वामी एवं कार्यक्रम आयेजितकर्ता/मुखिया के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 व अन्य आई0पी0सी0 की धाराओं तथा गैंगस्टर के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। प्रति गैस एजेन्सी पर 12000 गैस कनेक्शन/उपभोक्ताओं से अधिक के कनेक्शन/उपभोक्ता नही होने चाहिये। यदि किसी गैस एजेन्सी पर 12000 से अधिक गैस कनेक्शन/उपभोक्ता सम्बद्ध है तो उसकी जानकारी गैस एजेन्सी स्वामी सीधे अद्योहस्ताक्षरी/जिला पूर्ति अधिकारी को लिखित रूप में उपलब्ध कराए। जिससे उस क्षेत्र में नई गैस एजेन्सी खोली जा सके। गैस एजेन्सी स्वामी किसी भी दशा में गैस सिलेण्डर के निर्धारित मूल्य से अधिक का मूल्य उपभोक्ताओं से नही लेगा। आधारकार्ड फीडिंग शत्–प्रतिशत कराना अनिवार्य है जिसमें गैस एजेन्सी स्वामी पूर्ण सहयोग देगें।

(इस सम्बन्ध में निरन्तर निरीक्षण कर कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी के द्वारा)

Yadav

गैस एजेन्सियो के द्वारा अपनी–अपनी गैस गोदामो/एजेन्सियो पर अग्नि शमन सम्बन्धि समस्त व्यवस्थाएँ प्रत्येक दशा में शत्–प्रतिशत उपलब्ध रखेगें तथा गैस एजेन्सी स्वामी अपनी निर्धारित गैस गोदाम चौहद्दी से बाहर किसी स्थान पर दो गैस सिलेण्डर से अधिक सिलेण्डर्स एकत्रित कर नही रखेगे। गैस एजेन्सी स्वामी अपनी गैस एजेन्सी से सम्बन्धित गैस गोदाम अपने ऑफिस से 15किमी0 की दूरी के अन्दर ही रखेगें। गैस एजेन्सी/गोदाम पर कार्यरत सभी कर्मचारी बर्दी में व रंगीन फोटोयुक्त पहचान–पत्र के साथ होने चाहिए। यह पहचान–पत्र सम्बन्धित गैस एजेन्सी स्वामी द्वारा जारी किया जायेगा। गैस एजेन्सी स्वामी अस्थाई रूप से चलता–फिरता गैस गोदाम किसी भी दशा में नही बनाएँगें तथा 19 किग्रा0 क्षमता वाले व्यवसायिक गैस कनेक्शन किस गैस एजेन्सी पर कितने है उनके नाम पते की सूची मय कनेक्शन नम्बर सहित गैस एजेन्सी स्वामी सूची जिला पूर्ति कार्यालय में उपलब्ध कराएँगे। हॉकर्स के पास बर्दी, पहचान–पत्र, तौल मशीन अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। गैस एजेन्सियों/अन्य प्रकरणो में आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमो में नामजद व्यक्तियों की अभी तक गिरफ्तारी क्यूँ नही हुई है। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी स्वयं सम्बन्धित थानाध्यक्ष से पत्राचार कर उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ। यदि उक्त धाराओं में दर्ज मुकदमों में गिरफ्तारी नही हो पा रही है तो उस थाने के थानाध्यक्ष का नाम स्पष्ट रूप से अंकित कर जिला पूर्ति अधिकारी अपनी आख्या अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँ जिससे सम्बन्धित थानाध्यक्ष की लापरवाही के विषय में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यक कार्यवाही/निर्णय लिया जा सके।

(इस सम्बन्ध में निरन्तर निरीक्षण कर कार्यवाही जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा)

समस्त उपजिलाधिकारी अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत तहसील दिवस की भाँति एल0पी0जी0 गैस समस्या निवारण दिवस निर्धारित कर समस्याओं को सुनते हुए उनका निस्तारण एक सप्ताह में करेंगे। एल0पी0जी0 गैस समस्या निवारण दिवस पर कितनी शिकायते प्राप्त हुई इसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरी/जिला पूर्ति अधिकारी को दिवस के अगले दिन लिखित रूप में दी जायेगी।

(इस सम्बन्ध में निरन्तर निरीक्षण कर कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारीयों के द्वारा)

जनपद में कार्यरत डीजल/पेट्रोल पम्प स्वामियों को भी निर्देशित किया गया कि वह अपने पम्प पर साफ–सफाई व मानक के अनुरूप व्यवस्थाएँ स्थापित करें। पम्पों पर होने वाली घटतौली/अपमिश्रण पूर्णतया प्रतिबन्धित है। पम्पो पर रेट बोर्ड, स्टॉक बोर्ड, सम्बन्धित अधिकारियों के मोबाइल नम्बर आदि अनिवार्य रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। प्रत्येक पम्प स्वामी उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पम्प पर सेल्स/स्टॉक रजिस्टर प्रतिदिन व्यवस्थित रखेगें। भविष्य में यदि जाँच के दौरान पम्प पर कोई अनियमितता पाई जाती है तो पम्प के स्वामी व पम्प के कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 की धारा 3/7 व अन्य आई0पी0सी0 की धाराओं तथा गैंगस्टर के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी/समस्त उपजिलाधिकारी समय–समय पर रेन्डम आधार पर जनपद में पम्पो का निरीक्षण/जाँच करें तथा अनियमितता पाए जाने पर जाँच आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएँ। जिससे दोषी पम्प स्वामी के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित करी जा सके। इसके अतिरिक्त कई पम्प स्वामियों द्वारा डीजल बिक्री लाइसेन्स जो विगत वर्ष 14, 15 से लम्बित है को नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी शाहजहाँपुर को निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र लम्बित प्रकरणो का निस्तारण नियमानुसार कर अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराएँ। इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि रिश्वत लेना व सरकारी सेवक को रिश्वत देना दोनो ही कानूनन जुर्म है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो या सिविल हो रिश्वत का आदान–प्रदान किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा। दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। पम्प स्वामियों द्वारा अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराया गया कि जनपद में फर्जी शिकायते भी होती है, इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायती पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच गहनता से की जाये। शिकायत सही पाए जाने पर दोषी के विरूद्ध